न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **06/2017** अपील (राजस्व)

1. श्री उदयसिंह पिता स्व.श्री भवानीसिंह जी देवडा,निवासी 14 बी, पाठों की मगरी, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती लाली कुंवर पत्नी श्री सोहनसिंह जी डूलावत, निवासी खेतपाल का गुडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.)

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री फतहलाल पिता श्री रूपा जी डांगी, निवासी मयूर कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 4, उदयपुर (राज.)
2. श्री भंवरलाल पिता श्री फतहलाल जी डांगी, निवासी मयूर कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 4, उदयपुर (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदारजी गिर्वा, तहसील गिर्वा उदयपुर (राज.)
4. श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75—डी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण क्रमांक 3904 दिनांक 05.07.2016 उप तहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज0)

उपस्थित : श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्टस
श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता विपक्षी सं. 4
श्री मनोज कुमार पंवार, पेरोकार सरकार
श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं.1 व 2

निर्णय

दिनांकः—03.02.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा उप तहसीलदार बारापाल द्वारा पारित नामा.सं. 3904 दिनांक 05.07.16 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के सयुक्त स्वामित्व की मौजा डाकनकोटडा के आराजी नं. 2737 से 2745, 2761 व 2762 कुल किता 11 रकबा 4.9800 है. के खातेदार होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पूर्वहिताधिकारी की आवंटन शुदा भूमि है। 57 वर्षो से इस भूमि पर कोट बना कर उपयोग कर रहे

है। अपीलान्टगण ने उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 314/01 होकर दिनांक 08.07.10 को फैसला सुनाया गया। जो कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध था जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 02.08.10 को यह आदेश पारित किया कि न्यायहित में सुनवाई दिनांक 13.09.10 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जानी चाहिए। उक्त आदेश का उल्लघंन करते हुए उप तहसीलदार बारापाल ने दिनांक 05.07.16 को नामान्तकरण सं. 3904 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण दौराने स्थगन खोलकर पारित नामान्तकरण न्याय, नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं मौके की स्थिति के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसमें घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद/अपील विचाराधीन रहते हुए कोई कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार विद्वान उपतहसीलदार जी बारापाल को नहीं था। नियमित वाद के विचारण के दौरान ऐसी कार्यवाही पर रोक होनी चाहिए । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखे है। जिसकी अनदेखी करके पारित नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शुन्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जरिये दान पत्र से राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 में तथ्यों को छुपाते हुये यह नामान्तकरण पारित करवाया। पटवारी हल्का डाकनकोटडा एवं निरीक्षक भूअभिलेख को इस बारे में भलीभांति जानकारी थी उनके द्वारा भी तथ्यों को छिपाते हुए रिपोर्ट की गई। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार बारापाल द्वारा निर्णित नामान्तकरण सं. 3904 दिनांक 05.07.16 को निरस्त फरमाया जाये।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी नहीं थी। विचाराधीन अपील में खाते की नकल की आवश्यकता होने से प्रार्थी सं. 1 खाते की नकल लेने के लिए पटवारी जी के पास गया और खाते की नकल प्राप्त की । जिसे अपने अधिवक्ता को बताया तो उनके द्वारा कहा गया कि वादग्रस्त भूमि के विषय में एक ओर नामान्तकरण खुल चुका है। जिस पर दिनांक 12.01.17 को पटवारी जी के पास जाकर नामान्तकरण की नकल प्राप्त की गई। अतः न्यायहित में दिनांक 05.07.16 से दिनांक 12.01.17 तक की अवधि अन्दर मयाद शुमार की जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जाये।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट सं.2 के

पक्ष में किये गये दान पत्र के आधार पर कथित नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं.1 के हक हिस्से की भूमि में अपीलान्ट का हक व अधिकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का 1/5 हक हिस्सा है। व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 3/10 हक हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से दानपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया है। अपीलान्ट द्वारा कथित भूमि के संबधं में खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। इसलिए जहां नियमित वाद का दावा विचाराधीन है वहां ऐसी संक्षिप्त कार्यवाही को नियमित वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रकरण को नियमित वाद के निस्तारण तक स्थगित रखना फरमावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के प्र.सं. 179/10 निर्णय दिनांक 08.08.18 की प्रति प्रस्तुत की जा रही है। जिसे पत्रावली पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 के साथ में प्रस्तुत दस्तावेज माननीय भूप्रबध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय के प्र.सं. 179/10 निर्णय दिनांक 08.08.18 की छायाप्रति है। उक्त निर्णय को पत्रावली पर लिया जाता है तो हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही संक्षिप्त होने से नियमित वाद का दावा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में संक्षिप्त कार्यवाही को नियमित वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखे जाने हेतु निवेदन किया है। परन्तु न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तकरण में न्यायालय को यह देखा जाना है कि क्या विचाराधीन अपीलीय नामान्तकरण दौराने स्थगन खोला गया है। इसलिए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा डाकनकोटडा तहसील गिर्वा के आराजी नं. 2737 से 2745 तथा 2761 व 2762 कुल किता 11 रकबा 4.9800 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के संयुक्त स्वामित्व की होकर इसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष एक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया जहा से प्र.सं. 314/01 निर्णय दिनांक 08.07.10 को फैसला सुनाते हुए निर्णय अपीलार्थी गण के विरूद्ध दिये जाने से उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई। जहां से दिनांक 02.08.10 को आगामी पेशी दिनांक 13.09.10 तक रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। अपीलीय नामान्तकरण अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन अपील में स्थगन की जानकारी होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान का शार्टकट रास्ता चुना। बिना कोई जांच किये ही हस्तान्तरण जमीन

को लेकर राजस्व प्रकरण विचाराधीन है। सभी तथ्यों को छिपाकर नामान्तकरण निर्णित कर दिया गया। स्थगन आदेश होते हुये भी अपीलीय कोर्ट में अपील विचाराधीन होते हुये भी नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई। ऐसी स्थिति में अपीलीय नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त करा अपील दिनांक को जो भी राजस्व अभिलेख की स्थिति थी वह पुनः दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करें। अपने कथनों की ताईद में आरआरटी 2019(2) पेज 1206 एवं आरआरटी 2006(2) पेज 923 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही की भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में विधिवत तरीके से दानपत्र निष्पादित किया। विचाराधीन भूमि का ही हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को दिया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक हिस्से की भूमि में से दानपत्र का निष्पादन रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में किया गया। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। जिसमें अपीलार्थी को खातेदार घोषित नहीं किया गया है। वर्तमान में फास्ट ट्रेक कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी अवस्था में नियमित वाद सक्षम न्यायालय में अपीलाधीन भूमि के संबंध में विचाराधीन है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होकर अपीलार्थी अपील में संक्षिप्त कार्यवाही के जरिये अपने अधिकार व हक में कराना चाहता है। जो कानून संक्षिप्त कार्यवाही में पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। जहां तक स्थगन का प्रश्न है उसके लिए जिस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश यदि कोई जारी किया गया है तो वहा पर अपीलार्थी को न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। अपीलार्थी का कोई हक अधिकार बनता है तो वह विचाराधीन सहायक कलक्टर फास्ट टेक कोर्ट गिर्वा के विचाराधीन वाद में ही तय होगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील लाने की कोई अधिकारिता नहीं है। अपीलार्थी को नामान्तकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। हस्तगत अपील प्रकरण व नियमित वाद जो फास्ट ट्रेक में विचाराधीन है। दोनो मामलों में विवादित भूमि एक ही है और एक ही भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा जा रहा है। जहां नियमित वाद लम्बित है तो नामान्तकरण के संबंध में संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील को खारीज फरमायी जाये। अपने कथनों की ताईद में आरआरटी 2012(2) पेज 1348 के दृष्टांत प्रस्तुत किये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्ववान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.

08.10 के विचाराधीन रहते हुए एवं अपील के विचाराधीन रहते हुए पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.10 से प्रकरण में दिनांक 13.09.10 तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। अपीलीय न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 17.01.11 में स्थगन दिनांक 21.02.11 तक बढाया गया। परन्तु आगे की आदेशिकाओं में जो निरन्तर रूप से 23.01.17 तक में दिये गये स्थगन आदेश को अपास्त भी नहीं किया गया है। यानि की दिया गया स्थगन आदेश स्वतः दिनांक 23.01.17 तक प्रभावी था एवं अपीलीय नामान्तकरण फैसल दिनांक को अपील भी विचाराधीन थी व स्थगन भी प्रभावी था। पक्षकारान के मध्य अपीलीय न्यायालय में वाद विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बारापाल द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 3904 ग्राम डाकनकोटडा दिनांक 05.07.16 को निरस्त किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट गिर्वा में विचाराधीन वाद के निर्णय के अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं उप तहसीलदार बारापाल को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: